परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–545 0एलएएस / 2010 ... दिनांक : नवम्बर 11, 2010

1–प्रधान प्रबन्धक(के0का0 / डा0रा0म0लो0का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

3–समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

4–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–<u>रिवीजन / अपील में पारित आदेश के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।</u>

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन प्रकरणों में नियुक्ति अधिकारी द्वारा पारित सेवा समाप्ति / सेवा से पृथक आदेश के विरूद्व अपीलीय / रिवीजन आदेश में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दंण्डादेश को निरस्त करते हुए एक निश्चित समयावधि में नियुक्ति / अपीलीय अधिकारी को पुनः गुण अवगुण के आधार पर अथवा अपीलीय / रिवीजन आदेश में अंकित स्टेज से आदेश निर्गत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, उनमें नियुक्ति अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को ऐसे आदेशों के तुरन्त बाद पुनः कार्य पर नहीं लिया जाता है तथा निर्धारित समयावधि में पुनः आदेश पारित करने के उपरान्त इस प्रकार पारित नये आदेश के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

उक्त से स्पष्ट है कि नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अपीलीय / रिवीजन आदेश के अनुरूप कार्यवाही नहीं की जाती है तथा दंण्डादेश को निरस्त होने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को डियुटी पर नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार की कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद द्वारा श्री रामनरेश दुबे, परिचालक के प्रकरण में, क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा, परिचालक के प्रकरण में एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहारनपुर द्वारा श्री संतोष, परिचालक के प्रकरण में की गयी है। इस प्रकार सम्बन्धित कार्मिक को बिना उसकी कोई त्रुटि के अपीलीय / रिवीजन आदेश पारित होने के उपरान्त भी सेवा में नहीं लिया जाता है, जिसका लाभ वह न्यायालय में उठाकर "पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट" के अन्तर्गत विवादित अवधि का वेतन एवं पेनाल्टी क्लेम कर सकता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलीय / रिवीजन आदेश में दंण्डादेश को निरस्त किया गया है तथा दण्डादेश में सेवा समाप्ति का उल्लेख किया गया है तो सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल डियुटी पर लिया जाये तथा अपीलीय / रिवीजन आदेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप पुनः आदेश निर्धारित समयावधि में जारी किया जाये।

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन / संचालन / प्राविधिक), प्रधान प्रबन्धक, प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from
www.upsrtc.com